न्यायालय अवर न्यायाधीश

सोनपुर सारण।

हकितय वाद सं0– 436 सन् 2016

उपेन्द्र प्रसाद सिंह व अन्य.....वादीगण

बनाम

रंजीत राय व अन्य.....प्रतिवादीगण

दिनांकः–

13.02.2020

वादी की ओर से हाजिरी दी गई है, प्रतिवादी अनुपस्थित है। आज अभिलेख वादी की ओर से दाखिल संशोधन आवेदन दिनांक 27.11.2019 पर आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादी का आदेश 6 नियम 17 सिविल प्रकिया संहिता के अंतर्गत दाखिल संशोधन आवेदन में कथन है कि टंकक की भूल से वादपत्र में कुछ बातें गलत टंकित हो गया है और कुछ बातें दर्ज होना छूट गया है, जिसका संशोधन होना न्याय के लिए जरूरी है। वादीगण ने जानबूझकर कोई गलती नहीं की है, यह संशोधन बिल्कुल औपचारिक व मामूली प्रकृति की है जिसकी मंजूरी से न तो वाद हेतुक व न तो मुकदमे में कोई तबदिली आती है ना को क्षति प्रतिवादीगण को है अतः

आवेदन में लिखित संशोधन को करने की अनुमति दी जाए।

प्रतिवादीगण की ओर से उपर्युक्त संशोधन आवेदन का प्रतिउत्तर दाखिल नहीं किया गया हे। वादी के विद्वान अधिवक्ता को विगत तिथि को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि इस वाद में प्रतिवादी उपस्थित नहीं हुए हैं और तामिला को संपुष्ट करते हुए वादी के लिए एकपक्षीय साक्ष्य हेतु अभिलेख नियत किया गया है। अभी वाद प्रारंभिक चरण में है अतः वादी के संशोधन आवेदन को न्यायहित में 500/– रूपये खर्चे के साथ स्वीकार किया जाता है। वादी को निर्देश दिया जाता है कि वे खर्च की राशि जिला विधिक सेवा प्राधिकार, सारण में जमा करें और समय सीमा के भीतर वादपत्र में संशोधन करें।

वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक– 25.02.2020

सब जज
सोनपुर सारण।